पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 3/8/22
को पेश हों।

3/8/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा कब्जा काश्त अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/4350 दिनांक 21.06.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रति डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा कलम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:58:14 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिकरी व मुकदम इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत व इजलास — उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मोहनलाल वगै0 **बनाम** बनवारी लाल वगै0

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 218 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना। व हाजरी श्री श्रवण कुमार शर्मा एडवोकेट– वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरजभान पुनिया एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिकरी दी जाती है कि **दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है निर्णय दिनांक 20.04.2022 डिक्री का भाग समझा जावे।** बाबत.................×.................. निज................×......................मुबलिग...................×........................ खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.....................×..................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×...........................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिक		
हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:58:14 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।